

50/2007 रामनारायण - राम प्रसाद

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31-1-18	<p>कार-कार कावाज दिहाई गई । अपीलेंट एवं अपीलेंट के वकील कोई हाजिर नहीं किये। काले अदम हाजरी एवं अदम पैरवी साक्षित होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तत्काल तकमील हारिवल दफ्तर से। निर्णय सुनाया गया। शुभ</p> <p>पुत्रकव अधिकारी एवं पदम रावराज अपील अधिकारी सीकर</p>	

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official